

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बर:- ९१/११

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोचरी व भू.अ.नि. बावडी
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोचरी तहसील चिखली जिला
डूंगरपूर की जमाबन्दी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 207 में वर्तमान
में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कोचरी	207	कान्ती पुत्र वरसैंग मीणा	कान्ती उर्फ कांकरत्ताम पुत्र वरसैंग मीणा

क्रमांक:- 630-32

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कान्ती उर्फ कांकरत्ताम मीणा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली
दिनांक 01/04/22

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली
चिखली जि. डूंगरपूर